UPHR010014382026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P.05728)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–641/2026

रिजवाना पुत्री साबिर निवासी मो० काजीपुर कस्बा व थाना बिलग्राम, जिला हरदोई।

----------आवेदिका/अभियुक्ता।

बनाम

सरकार---------- विपक्षी/अभियोगी।

दिनांक–19.03.2026

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदिका/अभियुक्ता रिजवाना की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 575/2025, धारा 85, 80(2) बी०एन०एस० एवं 3/4 दहेज प्रति०अधि०, थाना बिलग्राम, जिला हरदोई में प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदिका/अभियुक्ता के पैरोकार साबिर का शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

3– अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा मंजूर द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय की तहरीर देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि मैनें अपनी पुत्री का निकाह दिनांक 14–11–2024 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार मो० आसिफ पुत्र साबिर निमो काजीपुर कस्बा व थाना बिलग्राम तहसील बिलग्राम जिला हरदोई के साथ किया था। शादी में मैनें अपनी हैसियत के अनुसार दान भी दिया था परन्तु मेरी पुत्री के ससुराली मेरा दामाद आसिफ तथा सलमान उर्फ राजन जेठ तथा ननद यासमीन पुत्री साबिर पत्नी रेहान तथा कु० रिजवाना पुत्री साबिर (ननद) प्रार्थी द्वारा दिये गये दान से सन्तुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में चार पहिये की गाड़ी की मांग करते थे दहेज के बावत् में प्रार्थी को भी बताया था। तब प्रार्थी की पुत्री की ससुराल बिलग्राम गया और दहेज में चार पहिया वाहन न दे पानें तथा अपनी गरीबी का हवाला देकर असमर्थता जताई इस पुत्री के ससुरालीजन न मानें और जिद पर अड़ गये तथा पुत्री रुकसाना को कपडे खाना आदि की तकलीफें देने लगे और मारपीट करने लगे। तब प्रार्थी ने द्वारा उभयपक्षों के मध्य दिनांक 7–10–2025 को सुलह समझौता भी कर दिया गया । प्रार्थी में अपनी पुत्री को न्यायालय द्वारा पुत्री की ससुराल भेज दिया और उसके बाद प्रार्थी का दामाद पुत्री को करीब 10 दिन बाद प्रार्थी के घर छोड़ गया तथा स्वयं अपनें घर चला गया उसके बाद दिनांक 13–11–2025 को प्रार्थी का दामाद

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.03.19 17:01:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आसिफ एवं एक अन्य अज्ञात व्यक्ति शमसाद उर्फ पक्कड़ के साथ प्रार्थी के घर ट्रक से आया क्योंकि वह ट्रक ड्राइवर है। प्रार्थी की पुत्री को विदा करानें आया और उसी दिन विदा कराके चला गया तथा दिनांक 13–11–2025 को ही आसिफ पुत्र साबिर, सलमान उर्फ राजन पुत्र साबिर कु० रिजवाना पुत्री साबिर तथा यासमीन पुत्री साबिर पत्नी रेहान विपक्षीगणों ने प्रार्थी की पुत्री रूकसाना की रात में हत्या कर दी तथा प्रातः 7:00 बजे प्रार्थी को फोन पर सूचना दी कि आपकी पुत्री की तबियत खराब है। जब प्रार्थी की पुत्री की ससुराल बिलग्राम गया। तब प्रार्थी की पुत्री की लाश बेड पर पड़ी थी तथा विपक्षीगण भाग गये थे तथा अपनें बचाव का रास्ता नेताओं के पास जाकर ढूंढनें लगे। प्रार्थी और प्रार्थी की पत्नी गुड्डी पुत्री के शोक में रोते–रोते बेहोश हो गयी जब होश में आये। तब शव का पंचनामा भरा जा रहा था। बाद में शव पोस्टमार्टम को भेजा गया तब मेरा दामाद बिलग्राम चौराहे पर मिला और साथ में पोस्टमार्टम हाउस तक गया तथा डाक्टरों से सांठ गांठ करके अपने पक्ष में पोस्टमार्टम करा लिया तथा शव को पोस्टमार्टम हाउस में ही छोड़कर भाग गया। प्रार्थी शव को अपनें गांव शाहाबाद ले गया तथा वहां शव को कब्रिस्तान में दफन कर दिया ।

4– आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क किया कि वह उपरोक्त मुकदमें में सह– अभियुक्त बनायी गयी है तथा उसका निकाह दिनांक– 28–03–2026 को होना तय हुआ है। उसने मृतका से व मृतका के घर वालों से कभी भी दहेज की माँग नहीं की है और नहीं मृतका का उत्पीड़न किया है नहीं मृतका की हत्या की है। वह अपने माता पिता के साथ नीचे कमरों में रहती है और रुक्साना (मृतका) दुमंजिल पर रहती थी तथा अपना खाना ऊपर ही बनाती थी। उसका भाई रुकसाना को दवा दिलवाकर उसके मायके से लेकर आया था तथा रुकसाना अपनें साथ ही मायके से खाना लेकर आयी थी और दो मंजिल पर अपनें कमरे में चली गई थी जिनके साथ उसकाभाई करीब 1 घण्टा रूकनें के बाद कानपुर चला गया था। जहां वह ट्रक चलाता है। समय करीब 7:00 बजे सुबह आसिफ का फोन अम्मी के फोन पर आया जब फोन नहीं उठ पाया तब आसिफ का फोन उसकी छोटी भाभी नौसिन के पास आया। तब नौसिन आसिफ के साथ–साथ वह और उसकी अम्मी व अब्बा को शोर करते हुए नीचे बतानें आयी और आसिफ की काल काट दी। तब नौसिन की बात पर भरोसा करके हम लोगों नें ऊपर जाकर देखा तब रूकसाना के हाथ पैर ठंडे होकर कड़े हो गये थे। रुक्साना बीमार रहती थी और वह अपनें मायके शाहाबाद में ही दवा लेती थी और वहीं जांच व इलाज के पर्चे रखती थी। कुछ पर्चे पुरानें रूकसाना के अलमारी के नीचे कागजों के साथ पड़े मिले। रुकसाना के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृत्यु का करण स्पष्ट नहीं हो सका है और फारेंसिक जांच हेतु विसरा भेजा गया है, मृत्यु के बारे में कल्पना की जा सकती है कि रुकसाना ने खाली पेट कोई दवा खाली हो जिस कारण भी मृत्यु हो सकती है। रुकसाना अपने मायके से दवा लाती थी, क्या बीमारी थी आज तक नहीं बताया किसी प्रकार की जाँच रिपोर्ट रुकसाना घर पर नहीं लायी।उसने व उसके माता पिता रुकसाना (मृतका) भाभी से बहुत प्यार करती थी और पूरे घर के लोग भी रुकसाना से प्यार करते थे जिस कारण वादी (मृतका के पिता) द्वारा उपरोक्त मुकदमें में उसके माता पिता व अन्य भाई बहनों के नाम प्रथम सूचना में नहीं दर्ज कराये है। जब कि उसके घर में कई भाई बहन है। उसका निकाह वादी मुकदमा अपने किसी रिश्तेदार से कराना चाहता था। उनके कहने से जब उसने निकाह नहीं किया

और अपने मनमुताबिक व घर वालों की पसंद सद्दाम से कर रही है, इत्तिफाक से इसी बीच रूकसाना की मृत्यु हो गई जिस कारण रंजिशन वादी मुकदमा ने उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज करा दिया। उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– प्रत्युत्तर में जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा तर्क किया गया कि आवेदिका/अभियुक्ता मृतका का ननद है तथा आवेदिका/अभियुक्ता ने अपने सह–अभियुक्त के साथ मिलकर मृतका व वादी मुकदमा से अतिरिक्त दहेज में हरदोई में चार पहिया कार की माँग की और दहेज की माँग को लेकर आवेदिका/अभियुक्ता एवं अन्य सह–अभियुक्त ने मिलकर मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर अस्वाभाविक रूप से हुई है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आधारों पर आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत दिये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6– मैंने आवेदिका/अभियुक्ता व वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

7– जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रसांगिक पर्चे व अन्य अभियोजन प्रपत्रो को प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में आवेदिका/ अभियुक्ता नामजद अभियुक्ता है व मृतका की ननद है, मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर आसामन्य परिस्थितियों में हुई है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका आठ माह की गर्भवती थी तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार मृतका के शरीर में अल्युमिनियम फास्फाइड विष होना पाया गया है। मामला दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराध से सम्बन्धित है, जो कि आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय है।

8– अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता रिजवाना की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः19.03.2026

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।